मत्स्य विज्ञान महाविघालय

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविघालय, हिसार

सूचना

महाविघालय के अधीन उपचारित सीवरेज जल के तालाब मछली पालन के लिये नीलामी आधार पर देने हेतू इच्छूक व्यक्तियों से खूली बोली आमंत्रित हैं। इसके विस्तृत नियम व शर्तें विश्वविघालय की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। इच्छूक व्यक्ति अपने आवेदन प्रभारी अधिकारी, मत्स्य विज्ञान महाविघालय के कार्यालय में दिनांक 01.06.2022 सुबह 10:00 बजे तक जमा करवा सकते हैं।

प्रभारी अधिकारी, मत्स्य विज्ञान महाविघालय

चौ0 च0 सिं0 हा कृ0 वि0, हिसार

College of Fisheries Science, CCS HAU, Hisar

Application for inviting quotations for auction of sewage treated ponds for production of fish

Passport size photo

1. Name of Person/Firm:

   Aadhar No./ Identity proof with photo:

   (Attach photo copy)

   Permanent Address:

2. The Person/Firm shall offer their said amount as below:

Sr. No.	Description	Number of sewage treated ponds	Period	Bid quoted
1	Sewage treated 4 ponds of total area 16.02 acre (= 3.24 acre +4.04 acre +3.10 acre +5.64 acre)	04 ponds	02 years	Open bidding

3. The Application is to be received on or before "01.06.2022 at 10.00 AM after uploading at University website/daily newspapers (Hisar edition)" at the address mentioned below:

   Officer Incharge,
   College of Fisheries Science
   CCS HAU, Hisar-125 004

4. The Application received after due date and time due to whatever reasons will be rejected.
5. Experience, if any;
6. Any other information:

I have understood the terms and conditions and undertake to execute the work (s) and to abide by all the terms and conditions prescribed for the bid/work. The earnest money of Rs. 50,000/- for the work (s)/bid in DD to be deposited to ---------- for applying the bid.

Signature
Name:
Father's Name:
Correspondence address:
Phone Number:

Receipt No. **Date**

(For office use only) Opened by the committee members

मतस्य विज्ञान महाविद्यालय

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय , हिसार

तालाब की संख्या एवं क्षेत्र –4 (3.24 एकड़, 4.04 एकड़, 3.10 एकड़ एवं 5.64 एकड़ = 16.02 एकड़)

मछली उत्पादन के लिए तालाब की नीलामी के लिए नियम व शर्तें

1. ठेकेदार को बोली में भाग लेने के लिए 50,000/– रु (पचास हजार रुपए) धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा। जिस ठेकेदार के नाम बोली छुटेगी उस ठेकेदार को यह राशि ठेका पूरा होने के बाद वापिस की जाएगी । इस राशि पर विश्वविद्यालय कोई ब्याज नहीं देगा। पहले बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत (एक चौथाई) पैसा जमा कराने तक दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले बोलीदाता की धरोहर राशि वापिस नहीं की जाएगी।

2. ठेका पहले 10.06.2022 से 09.06.2024 तक दिया जाएगा। ठेकेदार के काम की समीक्षा के बाद ठेके को प्रति वर्ष के लिए इन्ही शर्तों पर अधिकत्तम पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। सफल बोलीदाता को बोली का 25 प्रतिशत (एक चौथाई) पैसा बोली खत्म होने के 24 घंटे के अन्दर जमा कराना होगा। अगर वह 25 प्रतिशत पैसा 24 घंटे के अन्दर जमा नहीं करवाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी एवं ठेका दूसरे सफल बोलीदाता को दे दिया जाएगा। बाकि की राशि ठेकेदार को : समान किस्तों में जमा करानी होगी। पहली किस्त 05 जुलाई 2022 तक, दूसरी किस्त 05 नवंबर, 2022 तक, तीसरी किस्त 05 मार्च 2023 तक, चौथी किस्त 05 जुलाई 2023 तक, पांचवीं किस्त 05 नवंबर,, 2023 तक और छठी किस्त 05 मार्च 2024 तक जमा करवानी होगी।

3. अगर किस्त समय पर नहीं दी तो उस पर 15 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा और यह राशि किसी दूसरी किस्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी। ऑफिसर इंचार्ज को अधिकार होगा कि समय पर किस्त नहीं देने पर मछली की निकासी बंद कर दी जाएगी।

4. अनुसंधान एवं अन्य कार्यों के लिए 250 मछली प्रतिवर्ष महाविद्यालय के लिए आरक्षित रखना होगा।

5. वैज्ञानिक अपने अनुसंधान कार्य के लिए मछलियों का चुनाव तालाब के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं तथा वाछित क्रिया कर सकते है।

6. ठेकेदार को मछलियों की निकासी ऑफिसर इंचार्ज की अनुमति से उचित समय पर करनी होगी।

7. तालाब में किसी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की महाविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी

8. ठेकेदार तालाब को किसी दूसरे व्यक्ति को आगे ठेके पर नहीं दे सकता।

9. ठेकेदार के पास काम करने वाले सभी सदस्यों को उनका पहचान पत्र देना होगा एवं पासपोर्ट साईज फोटो महाविद्यालय में जमा करवाने होंगे ।

10. तलाब की बोली इस शर्त पर लगाई जाएगी कि तालाब की 2 साल (2022–23 , 2023–2024) के लिए सुरक्षा और तालाब की देखभाल के लिए होने वाले सभी कार्यों जैसे उपभोग्य वस्तुएं , जाल, शीशियाँ, मजदूरी आदि का खर्चा इत्यादि ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा ।

11. ठेकेदार अगर तालाब की देखभाल ठीक तरह से नहीं करता है तो विश्वविद्यालय उसका ठेका रद्द कर सकता है।

12. ठेकेदार को प्रतिबंधित मछलियों की प्रजातियों को तालाब में छोड़ने की अनुमति नहीं होगी व मछली का बीज वैज्ञानिकों की देखरेख में डाला जायेगा तथा उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय उसका ठेका रद्द कर सकता है।

13. बिजली के लिए उप–मीटर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाएगा।

14. ठेकेदार को DHBVN की दरों के अनुसार नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हिसार में देय) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उप मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा।

15. ठेकेदार को निम्नलिखित कानूनों का पूरी तरह से पालन करना होगा :

क. मजदूरों को महीने की 7 तारीख तक वेतन देना होगा।

ख. मजदूरों को सरकार द्वारा वेजिज एक्ट 1948 के तहत मजदूरों के लिए निर्धारित वेतन देना होगा और सरकार द्वारा समय – समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा ।

ग. ठेकेदार को मजदूरी की लिखित पर्ची उपलब्ध करवानी होगी।

16. ई एस आई और भविष्य निधि कानून पूरी तरह लागू करना होगा

17. GST और GST पर अधिभार विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार लागू होगा।

18. तालाब की उपज को विश्वविद्यालय के ट्रेडमार्क और लोगो के साथ बेचा नहीं जाएगा और उत्पादन की गुणवत्ता को समय–समय पर कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस , सीसीएस एचएयू हिसार और अन्य अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।

19. ठेकेदार किसी भी अवैध ज्वलनशील लेख या विस्फोटक को संग्रहीत या संग्रहीत नहीं करेगा जो जीवन और संपत्ति को खतरे में डालता है।

20. ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी कि मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मिले और इसके लिए विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी नहीं होगी।

21. ठेकेदार को प्रमाणित करना होगा कि उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य बोली में शामिल नहीं है।

22. सफल ठेकेदार को नीलामी के 10 (दस) दिनों के अन्दर 100₹– रुपए के स्टॉम्प पेपर पर नीलामी शर्तों का एग्रीमेंट दो गवाहों के हस्ताक्षर सहित देना होगा।

23. ठेकेदार द्वारा लगाए गए व्यक्ति को चोट लगने, मृत्यु होने या अपंग होने पर दी जाने वाली सहायता राशि के लिए ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। विश्वविद्यालय पर इस तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

24. ठेके की शर्तों को न मानने पर ठेका रद्द किया जा सकता है और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तालाब का बाकी बचा कार्य ठेकेदार के खर्चे पर पूरा किया जाएगा ।

25. महाविद्यालय को तालाब के निरीक्षण का अधिकार है । मजदूरों के आने जाने के लिए साधन की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए महाविद्यालय कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाएगा ।

26. ठेकेदार बोली लगाने से पहले तालाब को देख सकते हैं और ऑफिसर इंचार्ज से भी सम्पर्क कर सकते हैं ।

27. अनैतिक एवं असामाजिक कार्य तालाब क्षेत्र में निषेध है। दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना किया जाएगा । ठेकेदार द्वारा किसी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जा सकता हैं। किसी भी तरह के विवाद का निपटारा अनुसंधान निदेशक करेंगे व उनका फैसला सभी को मान्य होगा तथा अंतिम होगा।

28. किसी तरह के कानूनी झगड़े का निपटारा हिसार न्यायालय में होगा।

29. कोई अन्य शर्त जो विश्वविद्यालय ठीक समझे, लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

Officer Incharge, COFS